

|        | परियोजना/स्कीम का स्थान                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i)    | राज्य/संघ शासित क्षेत्र :-                                                                                                                                                                                           | उ० प्र० राज्य                                                                                                                                                         |
| (ii)   | जिला :-                                                                                                                                                                                                              | बाराबंकी                                                                                                                                                              |
| (iii)  | वन प्रभाग :-                                                                                                                                                                                                         | सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बाराबंकी                                                                                                                                     |
| (iv)   | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)                                                                                                                                                     | 0.366 हेक्टेयर                                                                                                                                                        |
| (v)    | वन की कानूनी स्थिति:-                                                                                                                                                                                                | संरक्षित वन                                                                                                                                                           |
| (vi)   | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना, (संलग्न की जाय)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर. एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं।                                                     | रिक्त                                                                                                                                                                 |
| (vii)  | हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                                     | 0.2                                                                                                                                                                   |
| (viii) | गूँसण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी                                                                                                                                                         | समवल एवं उपजाऊ भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपज (घास / झाड़ियों) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।                                                                     |
| (ix)   | वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित शील की वन सीमा                                                                                                                                                                       | राष्ट्रीय राजमार्ग व रेल मार्ग के किनारे की भूमि से अनुमानित दूरी संरक्षित घोषित है। प्रस्तावित वनेतर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है।                   |
| (x)    | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी फोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव गार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाएं)                      | नहीं                                                                                                                                                                  |
| (xi)   | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/रकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें?                                                                                         | नहीं                                                                                                                                                                  |
| (xii)  | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें। | नहीं                                                                                                                                                                  |
| 8      | उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।                        | न्यूनतम है।                                                                                                                                                           |
| 9      | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।                       | नहीं                                                                                                                                                                  |
| 10     | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
| (i)    | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी मू-खण्डों की संख्या प्रत्येक मू-खण्ड का आकार।                                                                         | प्रस्तावित किया गया है।                                                                                                                                               |
| (ii)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ अवकमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं का दर्शाता मैप।                                                                                                            | संलग्न है।                                                                                                                                                            |
| (iii)  | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।                                                                                                  | संलग्न है।                                                                                                                                                            |
| (iv)   | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
| (v)    | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)                                 | संलग्न है।                                                                                                                                                            |
| 11     | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम-7, 8, व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)                                                                                             | संलग्नक है-4                                                                                                                                                          |
| 12     | विभाग/ जिला प्रोफाइल                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
| (i)    | जिले का भौगोलिक क्षेत्र                                                                                                                                                                                              | 3891.50 वर्ग किमी० अथवा 389150.00 हे०                                                                                                                                 |
| (ii)   | जिले का वन क्षेत्र                                                                                                                                                                                                   | 55.05925 वर्ग किमी या 5505.925 हे०                                                                                                                                    |
| (iii)  | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र                                                                                                                                                   | 44 मामलों, क्षेत्रफल 200.2852664 हे०                                                                                                                                  |
| (iv)   | 1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण                                                                                                                                                              | 393.0235328 हे०                                                                                                                                                       |
| (क)    | वण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि                                                                                                                                                                         | रिक्त                                                                                                                                                                 |
| (ख)    | वनेतर भूमि पर                                                                                                                                                                                                        | रिक्त                                                                                                                                                                 |
| (v)    | प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| (क)    | वन भूमि पर                                                                                                                                                                                                           | 321.463734 हे०                                                                                                                                                        |
| (ख)    | वनेतर भूमि पर                                                                                                                                                                                                        | रिक्त                                                                                                                                                                 |
| 13     | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश                                                                                                                    | विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम संरक्षित वन का प्रयोग वनेतर कार्य के लिए संस्तुति की जाती है। इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितिक क्षति लगभग शून्य है। |

दिनांक 25-09-2017  
स्थान बाराबंकी

हस्ताक्षर  
सरकारी मोहर

  
जिला वन प्रभाग  
बाराबंकी